राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का प्रवासी श्रमिकों के परिवारों पर प्रभाव : एक अध्ययन

AAJEEVIKA BUREAU

श्रमिक सहायता एवं सन्दर्भ केन्द्र

तहसील कार्यालय के सामने
गोगुन्दा, जिला–उदयपुर (राज.)
दूरभाष : 02956 - 282716
ई–मेल : gogunda@aajeevika.org
वेबसाइट : aajeevika.org

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पेज नं.
1	**परिचय**	**3 - 6**
1.1	NREGA एक परिचय	3
1.2	दक्षिणी राजस्थान : प्रवास पर निर्भर आजीविका	4
1.3	प्रवासी श्रमिकों के परिवार और NREGS	5
2	**अध्ययन के उद्देश्य**	**6 - 7**
3	**अध्ययन प्रणाली / पद्धति**	**7 - 8**
3.1	प्रथम चरण (संख्यात्मक)	8
3.2	द्वितीय चरण (गुणात्मक)	8
4	**उत्तरदाताओ के बारे में**	**8 - 9**
5	**जॉब कार्ड की उपलब्धता, कार्य दिवस व आय**	**9 - 13**
5.1	काम की उपलब्धता	10
5.2	योजना से आय	12
5.3	आय का उपयोग	13
6	**योजना के प्रावधानो की जानकारी व जुडाव**	**13 - 15**
7	**समस्याएं व चुनौतिया**	**15 - 18**
8	**प्रभाव**	**18 - 20**
8.1	प्रवास पर प्रभाव	18
8.2	सामाजिक प्रभाव	20
8.3	बाजार पर प्रभाव	20
9	**योजना के बारे में आम राय**	**21**
10	**संभावित हस्तक्षेप**	**22**
11	**निष्कर्ष**	**23 - 24**
12	**संलग्नक**	

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का प्रवासी श्रमिकों के परिवारों पर प्रभाव : एक अध्ययन

1. परिचय

दक्षिणी राजस्थान जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है जिसकी भौगोलिक संरचना पहाडी व असमतल हैं। इस क्षेत्र में खेती योग्य जमीन की कमी और वर्षा की अनिश्चितता से गांवो से शहरों की ओर प्रवास कर आजीविका के विकल्प तलाशने का प्रवृति साफ तौर पर देखी जाती है। इस क्षेत्र के अधिकांश परिवारों से वयस्क पुरूष लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गांवों से गुजरात व महाराष्ट्र के बडे शहरों में जाकर अलग अलग तरह का काम करते है। पीछे से प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर परिवार के सदस्य परिवार संचालन हेतु आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए स्थानीय स्तर पर भी काम की तलाश कर अतिरिक्त आय का प्रयास करते हैं। इसके लिए प्रवासी श्रमिक के परिवारो के अन्य काम करने वाले सदस्यों (खासकर महिलाआ) के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना एक सर्वोत्तम विकल्प के रूप में दृष्टिगत होती हैं। इस क्षेत्र से प्रवास की सघनता को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का प्रवासी श्रमिको के परिवारो को मिलने वाले लाभ, प्रवास, श्रम बाजार व श्रमिको के सशकितकरण पर प्रभाव व योजना के प्रावधानो की जानकारी के स्तर का वास्तविक आकलन कर इस योजना से प्रवासी श्रमिकों के परिवारो में आजीविका वृद्धि के लिए संभावित हस्तक्षेप तलाशने के लिए किया गया।

1.1 NREGA एक परिचय

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगाार गारन्टी अधिनियम (NREGA) 7 सितम्बर, 2005 को अधिसूचित किया गया था। 2 फरवरी 2006 को यह 200 जिलों में लागू भी हो गया और फरवरी 2007 से इसमें 130 और नए जिले शामिल हो गये। इस कानून की उपयोगिता को देखते हुए इसे 1 अप्रेल, 2008 से देश के सभी 614 ग्रामीण जिलों तक विस्तारित कर दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगाार गारन्टी अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए बनी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगाार गारन्टी योजना बनायी गई हैं जिसे 2 अक्टूबर, 2009 से "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगाार गारन्टी योजना" नाम दिया गया हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगाार गारन्टी अधिनियम का मूल उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के प्रत्येक परिवार को एक वित्त वर्ष के दौरान कम से कम 100 दिन का निश्चित रोजगार उपलब्ध करवाना हैं, जिससे गांवों के लोगों

की गरीबी दूर हो और उनका जीवन स्तर बेहतर बने। यह रोजगाार उन परिवारों के वयस्क सदस्यों को उपलब्ध करवाया जाता हैं जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं जिससे ग्रामीण भारत में रोजगार सुरक्षा प्रदान कर जीवन यापन की स्थिति को ओर बेहतर बनाया जा सके। इससे उत्पादक संपदाओं का निर्माण करने, गामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, पर्यावरण की रक्षा करने, गांवो से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने में सहायता मिलने की उम्मीद हैं।

1.2 दक्षिणी राजस्थान : प्रवास पर निर्भर आजीविका

राजस्थान विषम परिस्थितियों वाला राज्य हैं। यहां का 60 प्रतिशत क्षेत्र रेगिस्तानी है, जहां देश की आबादी का 5 प्रतिशत हिस्सा केवल 1 प्रतिशत जलीय संसाधन पर निर्भर है। यहां का 70 प्रतिशत से भी ज्यादा इलाका वर्षा के जल पर आश्रित हैं तथा 66 प्रतिशत से बडी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि व पशुपालन पर निर्भर हैं और 20 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हैं। इसी प्रकार राजसथान का दक्षिणी भाग जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है जिसकी भौगोलिक संरचना पहाडी व असमतल भूमि़ क्षेत्र होने के कारण अत्यधिक कठोर हैं।

यदि गोगुन्दा क्षेत्र में आजीविका के विभिन्न स्त्रोतों को देखा जाए तो प्रवास आधारित श्रम, स्थानीय श्रम, कृषि, पशुपालन तथा छोटे–बडे स्थानीय व्यवसाय है। आजीविका ब्यूरो द्वारा किये गए शोध के अनुसार इस क्षेत्र के परिवारों की औसत वार्षिक आय 17,518 है जो कि जनजाति परिवारों में 14,150 व गैर जनजाति में 26,133 तक पहुचती है। यदि इस वार्षिक आय को स्त्रोतों के अनुसार बांटा जाए तो मुख्य स्त्रोत प्रवास आधारित मजदूरी ही है, क्योकि इस क्षेत्र की अधिकांश भूमि पहाडी होने के कारण कुल जमीन का मात्र 13. 09 प्रतिशत ही उपजाऊ हैं, जिसमें से भी केवल 18 प्रतिशत ही सिंचित है। गत एक दशक में लगाातार सूखे व अकाल की मार ने इस क्षेत्र की स्थितियों को अधिक विकट बनाया है। कृषि में घटती उत्पादकता व स्थानीय स्तर पर रोजी रोटी के अपर्याप्त विकल्पों ने यहां की नई पीढी को अपने गांवों से बाहर जाकर कार्य करने के लिए विवश किया है। वर्तमान स्थिति के अनुसार क्षेत्र में 83 प्रतिशत परिवारों के आय का प्रमुख स्त्रोत मजदूरी है, जिसमें से 63 प्रतिशत परिवारों को मजदूरी प्रवास से प्राप्त होती है। गोगुन्दा से होने वाला प्रवास गांव से शहरों की ओर है। गोगुन्दा से मात्र कथोड़ी व मोगिया ही ऐसे समुदाय है जो कि परिवार के साथ प्रवास पर जाते है व अन्य समुदायों में पुरूष का प्रवास मुख्यतया होता है। [1]

[1] श्रमिक सहायता एवं संदर्भ केन्द्र, गोगुन्दा द्वारा किये गये 10 पंचायतों के अध्ययन के आधार पर

अगर हम प्रवास के विभिन्न पक्षो पर नजर डालते हैं तो एक बडा पक्ष जो उभर कर सामने आता है, वह है प्रवासी श्रमिक पर निर्भर परिवार के अन्य सदस्य। जिसमें विशेषकर उस परिवार की महिला व बच्चे शामिल होते हैं। परिवार के वयस्क व आजीविका चलाने वाले पुरूष सदस्य का लम्बे समय के लिए घर से बाहर रहने का सर्वाधिक प्रभाव उसके परिवारजनों पर होता है। इसका प्रवासी श्रमिक के परिवार पर सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, और मानसिक रूप से गहरा प्रभाव पडता हैं। परिवार के सदस्यों का स्वास्थय, खेतीबाडी, बच्चों की शिक्षा, घर की आर्थिक स्थिति व सामाजिक काम होने और अन्य किसी आकस्मिक आवश्यकता पडने पर निर्णय लेने के समय प्रवासी श्रमिक की अनुपस्थिति परिवार के अन्य सदस्यों के लिए परेशानी खड़ी कर देती है। अधिकतर इन परेशानियों का सामना प्रवासी श्रमिक के परिवार के सदस्यों को करना पड़ता हैं, जिनमें विशेष रूप से पुरूष की अनुपस्थिति में जिस सदस्य पर पूरे घर के संचालन की जिम्मेदारी आ जाती हैं वह उसकी पत्नी होती हैं। ऐसी परिस्थिति में महिलाओं को भी ठीक उसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होती है, जैसी कि गंतव्य स्थल पर काम के दौरान प्रवासी श्रमिक को। इस प्रकार जंहा एक ओर तो प्रवास से मिली आय से श्रमिक का परिवार लाभान्वित होता हैं, वहीं दूसरी तरफ उसकी परिवार में गैरमौजूदगी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियां परिजनों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कष्ट भी लेकर आती हैं। घर में वयस्क पुरूष के नहीं होने से उनके परिवारजन जानकारी के अभाव में सरकार की ओर से चलाई जाने वाली सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं।

1.3 प्रवासी श्रमिकों के परिवार और NREGS

स्थानीय स्तर पर काम करने वाले श्रमिक और अपने क्षेत्र से बाहर जाकर (प्रवास) काम करने वाले श्रमिकों में एक मुख्य अन्तर उनकी पारिवारिक स्थितियों का होता हैं। प्रवासी श्रमिक के लिए परिवार से दूर रहना उसके काम पर टिकाव को पूर्णतया प्रभावित करता है। इसी प्रकार उसकी अनुपस्थिति में परिवार में उत्पन्न होने वाली समस्याओं और जरुरतों की समय पर पूर्ति होने या न होने का भी प्रवासी की काम पर टिकाव की स्थिति को तय करती है। प्रवासी श्रमिक जिस उद्देश्य से प्रवास पर जाता हैं उसे पूरा करने के लिए पारिवारिक स्थिरता की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। परिवार से वयस्क, जिम्देदार व आजीविका कमाने वाले सदस्य का अपनी आजीविका की तलाश के लिए बाहर चले जाने की स्थिति में उसके हिस्से के अधिकांश काम का भार जिस पर आता हैं वह अधिकतर उस घर की महिला और उसमें भी वह उसकी पत्नी होती है। देखने में आता हैं कि पुरुष के प्रवास पर चले जाने के कारण उनके दैनिक कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। घर के कार्य, मवेशी की देखभाल, खेती, बच्चों की देखभाल एवं बाजार के कार्यों में पुरुष की

अनुपस्थिति के चलते सारा बोझ परिवार की महिला पर आ जाता है। खेतीबाडी में पुरुष की अनुपस्थिति में कम आमदनी के चलते किसी अन्य मजदूर को मजदूरी पर लगाने की बजाय वे स्वयं कार्य करना पसंद करती हैं। घर की छोटी–मोटी जरूरतों की पूर्ति के लिए कुछ महिलाएं तो दिहाड़ी मजदूरी पर भी जाती हैं जिससे उनको परिवार संचालन हेतु अधिक आय हो सके।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का निश्चित रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगाार गारन्टी योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है प्रवास की प्रवृति में कमी लाना। गांव में ही काम उपलब्ध होने पर लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ नहीं दौडेगें। इस योजना के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण को बढ़वा देने के लिए यह प्रावधान किया गया हैं कि रोजगार पाने वालों में कम से कम एक तिहाई संख्या महिलाओं की हो। इससे महिलाओं को कुछ आर्थिक स्वतन्त्रता मिलेगी। अब तक के काम आंकडों के अनुसार इस योजना में प्रवासी परिवार की महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी अच्छा है।

2. अध्ययन के उद्देश्य

प्रवासी श्रमिकों के परिवारों की जरूरतों सम्बन्धी सेवाए खडी कर प्रवास, आजीविका व पररिवारिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आजीविका ब्यूरो द्वारा "प्रवासी श्रमिक के परिवार सहयोगी एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम" संचालित किया जा रहा हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिक की अनुपस्थिति में उसके परिवार को स्थिरता प्रदान करना तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर कर परिवार की आजीविका में वृद्धि करना हैं जिससे प्रवासी श्रमिक पर परिवार की निर्भरता कम हो और उसकी जोखिम लेने की क्षमता बढे ताकि उसके प्रवास चक्र का सुदृढीकरण हो सके। प्रवासी श्रमिकों के परिवार की स्थितियों पर बनी प्राथमिक समझ के आधार पर आजीविका ब्यूरो को इन श्रमिकों के परिवारों का क्षेत्र में संचालित विभिनन सरकारी योजनाओं व सुविधओं (NREGS, JSY, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आदि) से जुडाव सुनिश्चित करना तय किया गया। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगाार गारन्टी योजना एक प्रमुख योजना हैं जिसमें महिलाए स्थानीय स्तर पर ही सीधे जुडकर अकुशल श्रेणी के काम कर सकती हैं। एक अध्ययन के अनुसार अब तक इस योजना के अन्तर्गत सभी क्षेत्रों में महिला श्रमिकों का प्रतिशत 50 (http://nrega.nic.in) पाया गया हैं। इतनी बडी संख्या में महिला श्रमिकों के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगाार गारन्टी योजना में जिसमें प्रवासी श्रमिकों के परिवारों की महिलाए भी शामिल हैं, लगातार काम करने के बावजूद भी परिवारों की स्थिति में अपेक्षा अनुरूप सुधार नहीं हो रहा हैं। श्रमिक परिवारों के अन्य कार्यशील सदस्य इस योजना को रोजगार के उपलब्ध विकल्पों के

रूप में देख पा रहें है जिससे इनके परिवारों की आजीविका में वृद्धि हो सके। इसके लिए इस योजना का इनके परिवारों पर प्रभाव को जानकर उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

प्रवासी श्रमिकों के परिवारों पर NREGS (नरेगा) के प्रभावों को नजदीकी व गहराई से समझने के लिए यह अध्ययन प्रस्ताव तैयार किया गया है। ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का प्रवासी श्रमिकों के परिवारों पर प्रभाव'' विषय पर किए जाने वाले अध्ययन द्वारा निम्न प्रश्नों का उत्तर तलाशा जायेगा :–

- कितने प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को NREGS का लाभ मिला?
- जिनको NREGS का लाभ मिला उनकों क्या लाभ मिला?
- जिनको NREGS का लाभ नहीं मिला उसके क्या कारण रहे?
- श्रमिकों में इस योजना के प्रावधानों की जानकारी का स्तर क्या हैं?
- श्रमिकों के सशक्तिकरण व मोलभाव की क्षमताओं की वृद्धि का स्तर क्या है?
- श्रमिक सहायता एवं सन्दर्भ केन्द्र द्वारा इस योजना से प्रवासी श्रमिकों के परिवारों में आजीविका वृद्धि हेतु किस प्रकार के हस्तक्षेप किये जा सकतें हैं?

3. अध्ययन प्रणाली / पद्धति

अध्ययन में तथ्य संकलन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनो प्रकार के स्त्रोतों का प्रयोग किया गया।

प्राथमिक स्त्रोतः–

- प्रवासी श्रमिकों के परिवारों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार।
- NREGS में काम करने वाले श्रमिकों के श्रमिक समूहों के साथ समूह चर्चा।
- केस स्टडी (Case Study)
- अवलोकन

द्वितीयक स्त्रोत –

- सरकारी रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज।
- विषय पर किए गए अन्य अध्ययन।
- पत्र पत्रिकाए।

इस अध्ययन हेतु तथ्य संकलन का कार्य दो चरणो मे किया गया जिसमे मात्रात्मक (त्वरित सर्वेक्षण) व गुणात्मक दोनों प्रकार की अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया गया। अध्ययन के लिए नमूना (Sample Size) निम्न प्रकार से की गई।

3.1 प्रथम चरण (संख्यात्मक)

अध्ययन श्रमिक सहायता एवं संदर्भ केन्द्र, गोगुन्दा के कार्यक्षेत्र की 6 पंचायतों (ढूण्ढी, करदा, पानेर, गुन्दाली, तिरोल व रावलिया खुर्द) में किया गया इसके लिए प्रत्येक पंचायत के 50 तथा कुल 300 प्रवासी श्रमिक के परिवारों के साथ चर्चा की गई

3.2 द्वितीय चरण (गुणात्मक)

अध्ययन के द्वितीय चरण में प्रति पंचायत एक तथा कुल 6 समूह चर्चाए (FGDs), 15 Case Study व 12 रोजगार गारन्टी योजना के तहत चल रहे कार्यो की साईटो का अवलोकन किया गया।

4. उत्तरदाताओ के बारे में

अध्ययन में सम्मिलित कुल 300 परिवारों में से 49.3 प्रतिशत परिवार जनजाति (गमेती) समुदाय के थें। इन परिवारो से जुडे अधिकतर प्रवासी श्रमिक शारीरिक श्रम व अकुशल श्रेणी के कार्यों में संलग्न थें। कुल उत्तरदाताओं में से 40 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाए हैं जिन्होने कि NREGS के अन्तर्गत काम किया था। महिला उत्तरदाताओ मे से 50 प्रतिशत महिलाएं गमेती जनजाति की थी। अध्ययन से निकलकर आया कि 93 प्रतिशत परिवरों की आय का प्रमुख स्त्रोत श्रम आधारित है अर्थात् इन परिवारों की स्थानीय श्रम व प्रवास पर निर्भरता सर्वाधिक (सारणी 1) थी। खेती जैसे पारम्परिक स्त्रोत केवल 2.3 प्रतिशत परिवारो की ही आय का प्रमुख स्त्रोत हैं।

सारणी 1 : परिवारो की आय का प्रमुख स्त्रोत

स्त्रोत	परिवार (N = 300)	प्रतिशत
कृषि	7	2.3
स्वरोजगार (गैर कृषि)	7	2.3
स्थानीय दैनिक मजदूरी	138	46.0
स्थानीय नियमित रोजगार/नौकरी	8	2.7

प्रवास से होने वाली आय	140	46.7

अध्ययन में शामिल उत्तरदाताओ में से 53 प्रतिशत उत्तरदाता 26 से 45 आयु वर्ग के हैं। यदि शैक्षणिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरदाताओ का एक बडा हिस्सा निरक्षर है जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं। इस प्रकार कुल उत्तरदाताओं में से 43 प्रतिशत असाक्षर व 23 प्रतिशत आठवीं कक्षा या इससे अधिक तक शिक्षित हैं।

चार्ट 1 : उत्तरदाताओ का शैक्षणिक स्तर

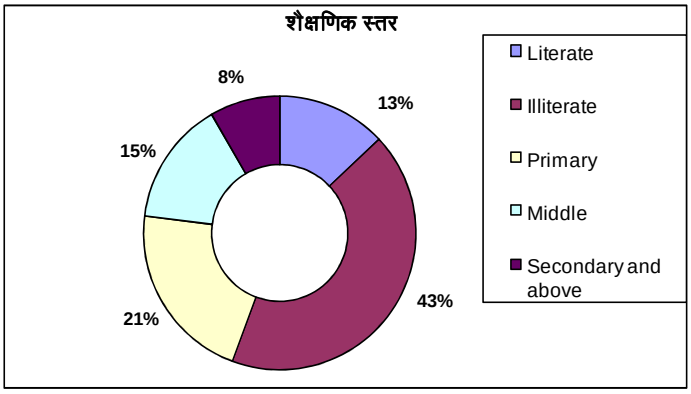

अध्ययन में निकलकर आया कि प्रत्येक प्रवासी श्रमिक के परिवार में औसतन कुल 3.7 वयस्क सदस्य निवास करते हैं। कुल वयस्क सदस्यो में 51 प्रतिशत पुरूष हैं, जिनमे से 60 प्रतिशत अपनी रोजी रोटी की तलाश में प्रवास पर जाते हैं।

प्रतिवेदन के इस भाग में हम अध्ययन के दौरान निकलकर आये प्रवासी श्रमिकों के विवादों की संख्या, विवादों के प्रकार, विवादों के पक्ष व व्यवसाय, विवाद और सामाजिक स्थिति, विवाद और कार्य स्थल मे सम्बन्ध आदि बातों को एक तवरित सर्वेक्षण के माध्यम से संख्यात्मक रुप से हमने जानने की चेष्टा की।

5. जॉब कार्ड की उपलब्धता, कार्य दिवस व आय

नरेगा में काम करने के लिए जॉब कार्ड एक महत्वपूर्ण व आधारभूत दस्तावेज हैं। अध्ययन के दौरान निकलकर आया कि अधिकांश परिवारों के जॉब कार्ड बने हुए है। कुल 300 परिवारों से में 18 (6 प्रतिशत) परिवारों के जॉब कार्ड नहीं बन पाएं है। इनमें एक बडी संख्या सामान्य वर्ग के परिवारों की है। जॉब कार्ड से वंचित परिवारों में 22 प्रतिशत जनजाति परिवार है। घर में कार्ड बनवाने वाला कोई न होना व जानकारी

अभाव इसके मुख्य कारणों के रुप में सामने आए। कुछ परिवार जॉब कार्ड बनवाने के प्रावधान के प्रति जानकारी कम होने की वजह से जॉब कार्ड बनवाने से वंचित रह गए।

चार्ट 2 : जॉब कार्ड नहीं, क्योकि?

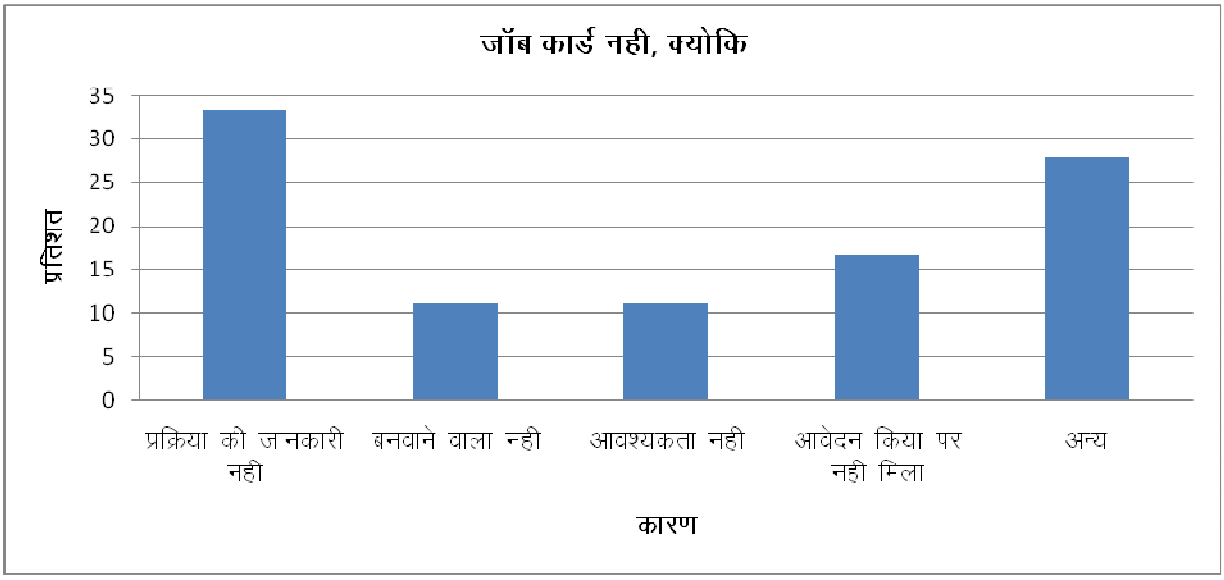

समूह चर्चा के दौरान स्पष्ट हुआ कि जॉब कार्ड बनवाने की प्रक्रिया के प्रति जानकारी कम होने की वजह से लोागें को अपने परिवरों के जॉब कार्ड बनवाने के दौरान पैसा मांगने, रसीद नहीं देने जैसी समस्याओं का सामना करना पडता हैं। अवलोकन मे पाया गया कि जॉब कार्ड में इन्द्राज की जाने वाली आवश्यक जानकारियां जैसे श्रमिक का नाम, कार्यावधि व कुल कार्य दिवस, कुल मजदूरी भुगतान आदि अधूरी भरी हुई पाई गईं। यह भी देखने में आया कि परिवारों के जॉब कार्ड अधिकांश समय उनके पास नहीं रहते हैं। जॉब कार्ड कभी मेट, कभी सचिव तो कभी पोस्ट ऑफिस या सहकारी बैक में रखे रहते है।

5.1. काम की उपलब्धता

चार्ट 3 : औसत वार्षिक कार्यदिवस

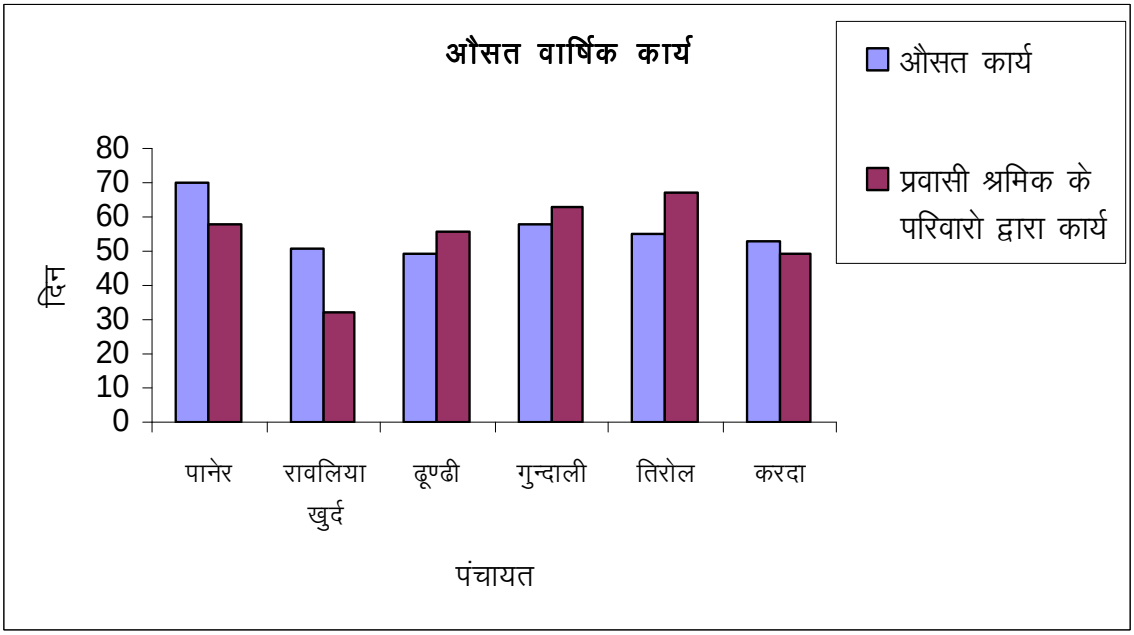

द्वितीयक स्त्रोत (सरकारी आंकडों) से जुटाये गए तथ्यो से निकलकर आया कि वित्तीय वर्ष 2009 – 2010 के दौरान गोगुन्दा तहसील में नरेगा के तहत प्रत्येक परिवार को औसतन 57 दिन का काम मिला है। अध्ययन के दौरान एकत्रित किए गए तथ्यो के विश्लेषण से भी स्पष्ट हुआ कि प्रवास पर जाने वाले श्रमिको के परिवारों को इस दौरान औसतन 56 दिन वार्षिक काम मिला जिसके परिणमस्वरुप उन्हें औसत मजदूरी 73 रुपये प्रतिदिन मिली है।

सारणी 2 : परिवारो द्धारा किया गया काम

दिन	परिवार (N = 282*)	प्रतिशत
0 दिन	66	23.4
20 दिन तक	32	11.3
21 - 30 दिन	20	7.1
31 - 40 दिन	20	7.1
4 1 - 50 दिन	27	9.6
51 - 60 दिन	16	5.7
61 - 70 दिन	26	9.2
71 - 80 दिन	26	9.2
81 - 90 दिन	22	7.8
91 दिन व अधिक	27	9.6

Note :– * उपरोक्त तालिका में वो परिवार सम्मिलित नहीं हैं जिनके जॉब कार्ड नहीं बने हैं।

जंहा तक नरेगा के तहत काम मिलने की बात है तो वित्त वर्ष 2009 – 2010 के दौरान करीब 23 प्रतिशत परिवारों को एक भी दिन काम नही मिला, वहीं 25 प्रतिशत परिवारो को साल भर में औसतन 40 दिन या उससे भी कम काम मिल पाया हैं। अध्ययन के दौरान मात्र 17 प्रतिशत परिवार ही 80 या उससे अधिक दिन तक काम करने वाले पाये गए है।

''काम आया ही नहीं''

नरेगा में 100 दिन के काम की गारन्टी के दावे के अनुरुप करीब आधे दिनों का रोजगार ही मिल पाने के पीछे एक बडी वजह है इस योजना के बारे में जनसामान्य में मानसिकता है। यह बात समूह चर्चाओ के दौरान की गई चर्चा के निष्कर्ष से निकलकर आई हैं। इससे ज्ञात हुआ कि समुदाय अभी तक इस योजना

को अपने हक व कानून के रूप में न लेकर इस योजना के बारे में भी सरकार की अन्य योजनाओं की ही तरह सोच रखते है। समुदाय का मानना है कि जब सरकार काम का आवंटन करेगी तब ही काम ही मिल पायेगा। योजना के तहत काम के आवेदन को लेकर अस्पष्टता आम तौर पर सभी जगह देखने में आई। परिवारों की काम के लिए आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी के स्तर का प्रतिशत (9 प्रतिशत) चिंतनीय है। योजना के अन्तर्गत कोई भी परिवार साल भर में कभी भी अपनी आवश्यकता के अनुरुप काम की मांग कर सकता हैं, लेकिन इसको लेकर जागरुकता की कमी बडे स्तर पर है।

5.2. योजना से आय

सरणी 3 : NREGS से वार्षिक आय

आय	परिवार (N = 216*)	प्रतिशत
1500 रुपये तक	34	15.7
1501 - 2500 रुपये	31	14.4
2501 - 3500 रुपये	30	13.9
3501 - 4500 रुपये	21	9.7
4501 - 5500 रुपये	39	18.1
5501 - 6500 रुपये	33	15.3
6501 - 7500 रुपये	17	7.9
7501 रुपये से अधिक	11	5.1

Note :– * उपरोक्त तालिका में वो परिवार सम्मिलित नहीं हैं जिनके जॉब कार्ड नहीं बने व वो परिवार जिने जॉब कार्ड तो है लेकिन उनको एक भी दिन काम नही मिला हैं।

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक परिवार ने योजना में काम करके अपनी आय में औसतन 4036 रुपयों की वृद्वि की है अर्थात वित्त वर्ष 2009 – 2010 के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत काम करने वाले प्रवासी श्रमिक के परिवार को मजदूरी के रूप में औसतन 4036 रूपये की आय हुई हैं। अध्ययन के दौरान देखने मे आया कि इस योजना से काम करने वाले मात्र 5 प्रतिशत परिवारो को ही वार्षिक आय 7500 रूपये या इससे अधिक हुई हैं जबकि 30 प्रतिशत परिवारो को वार्षिक आय 2500 रूपये से भी कम हुई हैं।

5.3 आय का उपयोग

NREGS से होने वाली अतिरिक्त आय का उपयोग परिवारों द्वारा अधिंकांश भाग घरेलु खर्च, स्वास्थ्य, बच्चो की शिक्षा व कर्ज चुकाने जैसे कामो पर खर्च किया गया। इसमें आय का सर्वाधिक 41 प्रतिशत उपयोग घरेलू खर्च मे दैनिक उपयोग का सामान खरीदने मे हुआ। इसी प्रकार नरेगा की आय का 30 प्रतिशत हिस्सा परिवार ने अपने स्वास्थ्य व 21 प्रतिशत को बच्चो की शिक्षा व पुराने कर्ज चुकाने पर खर्च किया। जनजाति परिवारों ने नरेगा की आय को अधिकतर अपने पुराने कर्ज चुकाने और सामाजिक आयोजनों पर खर्च किया है। इस योजना के द्वारा हाने वाली परिवार की आय में से केवल 1 प्रतिशत हिस्सा बचत के लिए काम मे लिया गया हैं।

चार्ट 4 : आय के उपयोग

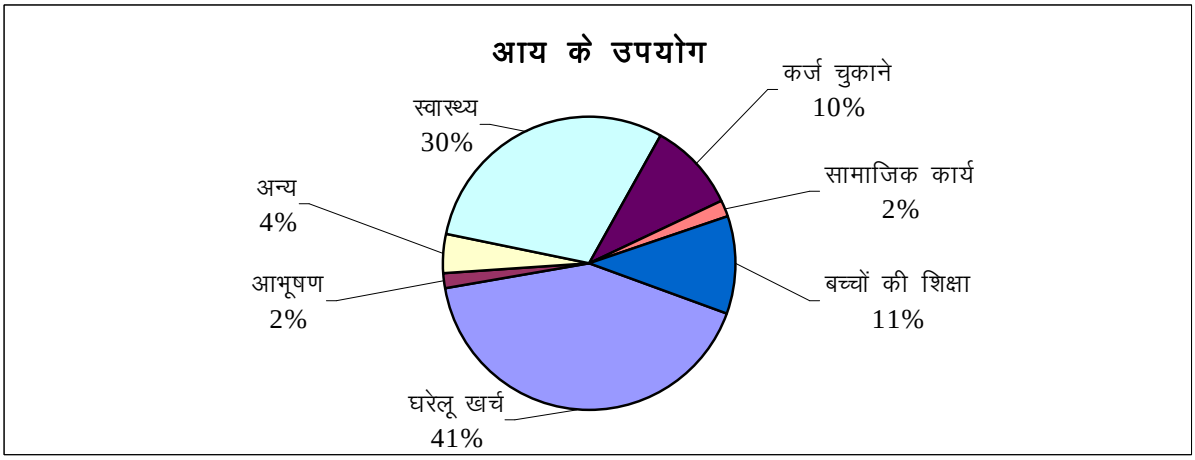

महिलाओं के साथ हुई समूह चर्चा में निकलकर आया कि उनके हाथ में पैसा आने से उनका आत्म विश्वास बढा है लेकिन उसके उपयोग के बारे में निर्णय पूरी तरह उनके हाथ मे नहीं है। हालांकि जनजाति परिवारों में महिलाओं को विशेषकर सालभर में नरेगा से कमाई गई राशि का सही अनुमान नहीं था।

6. योजना के प्रावधानो की जानकारी व जुडाव

सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना के अन्तर्गत ग्राम आधारित रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर गांव स्तर पर पर्याप्त प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। यही वजह है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना योजना के बारे में 97 प्रतिशत परिवारों ने सुन रखा हैं। जंहा तक बात है इससे जुडे प्रावधानों, प्रक्रियाओं

और फायदों के बारे में तथ्यपरक जानकारियों की, तो इसका अभाव प्रायः प्रत्येक परिवार में देखने को मिलता है।

सारणी 4 : प्रावधानो की जानकारी का स्तर

iko/kku (N= 300)	i.k	vLi"V@vkf'kd	fcYdy ugh
जॉब कार्ड हेतु आवेदन	5%	60%	35%
कार्य हेतु प्रार्थना पत्र	9%	63%	27%
मस्टरोल की अनिवार्यता	32%	60%	8%
न्यूनतम मजदूरी दर	36%	41%	23%
काम की नाप तौल	6%	52%	42%
कार्यस्थल पर न्यूनतम सुविधाए	11%	78%	12%
बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान	2%	5%	93%

अध्ययन मे निकलकर आया कि करीब आधे से अधिक (60 प्रतिशत) परिवारों को जॉब कार्ड बनवाने की प्रक्रिया के बारे में अस्पष्ट या आंशिक जानकारी हैं। 35 प्रतिशत परिवारों को तो इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं हैं। इसी प्रकार काम के नाप तौल को लेकर 42 प्रतिशत परिवारों में जागरुकता बिल्कुल भी नहीं है। काम के नाप और मजदूरी दर को लेकर सदैव एक द्वन्द्व देखने को मिलता है। समूह चर्चा के अन्तर्गत लोगों का कहना था कि काम में लगने वाली मेहनत और काम के आकार का आपस में कोई तालमेल नहीं होता हैं। ऐसे में नरेगा को लेकर प्रवासी श्रमिको के परिवारो की शिकायत थी कि उनकी मजदूरी दरों के निर्धारण की प्रक्रिया व उसके मापदण्ड संतोषप्रद नहीं है। बेरोजगारी भत्ते के बारे मे मात्र 2 प्रतिशत लोगो को पूरी जानकारी हैं। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि परिवारों में नरेगा कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाओ को लेकर अन्य प्रावधानो की अपेक्षा बेहतर जानकारी है। समूह चर्चा के दौरान भी कार्यस्थल पर छाया, पेयजल की सुविधा व प्राथमिक उपचार लेकर को लेकर नरेगा में काम करने वालों परिवारों में जानकारी का स्तर संतोषप्रद पाया गया।

समूह चर्चा के दौरान स्पष्ट हुआ कि काम के आवेदन को लेकर परिवारों की धारणा है कि जब सरकार काम जारी करेंगी तभी काम मिलेगा। जबकि योजना के अन्तर्गत कभी भी जब परिवार को काम की आवश्यकता हो तब काम की मांग की जा सकती है, लेकिन इस बारे में अधिकांश परिवार जागरुक नहीं हैं। अवलोकन में इस विषय पर देखा गया कि सरकारी क्रियान्वयन ऐजेन्सीज द्वारा जागरुकता फैलाने की इच्छाशक्ति न्यून है। अध्ययन के दौरान इस सन्दर्भ में नरेगा के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की गई

तो उनका कहना था कि इस व्यापक योजना का क्रियान्वयन मानव संसाधनों की कमी की वजह से समुदाय तक संदेश पंहुचाने में बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। किसी भी स्तर पर समुदाय को यह बताने से बचा जाता है कि आवेदन करना क्यों जरुरी हैं। जनजाति परिवारों में काम के आवेदन को ले कर अस्पष्टता सबसे अधिक देखने में आती है। अध्ययन के दौरान परिवारो के साथ हुई समूह चर्चा से स्पष्ट संकेत मिले कि नरेगा मे रोजगार करने के बारे में उनकी काम की इच्छा को लेकर कभी उन्हें आवेदन करने की सलाह नहीं दी गई।

7. समस्याएं व चुनौतिया

चार्ट 5 : जॉब कार्ड बनवाने में समस्याए

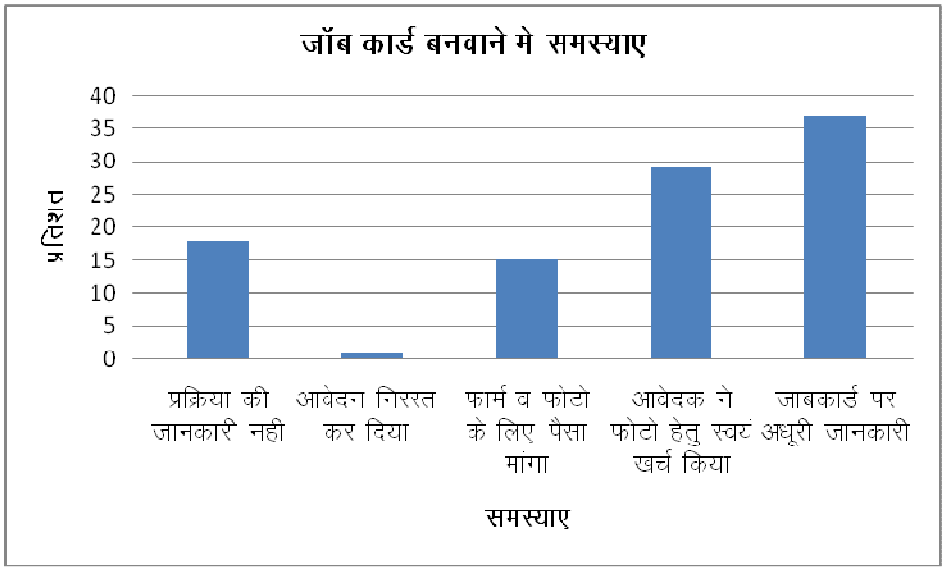

अध्ययन के दौरान जॉब कार्ड के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि उनमें निर्धारित सूचनाओं जैसे काम के दिन व मजदूरी इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया जाता है। 37 प्रतिशत परिवारो के जॉब कार्ड में तो परिवार के कई सदस्यो जानकारी अंकित ही नही थी या अधुरी व गलत जानकारी दर्ज थी। इसी प्रकार 15 प्रतिशत परिवारो से जॉब कार्ड बनाने हेतु फार्म फोटो के लिए पैसे मांगे गए।

चार्ट 6 : काम प्राप्त करने में समस्याए

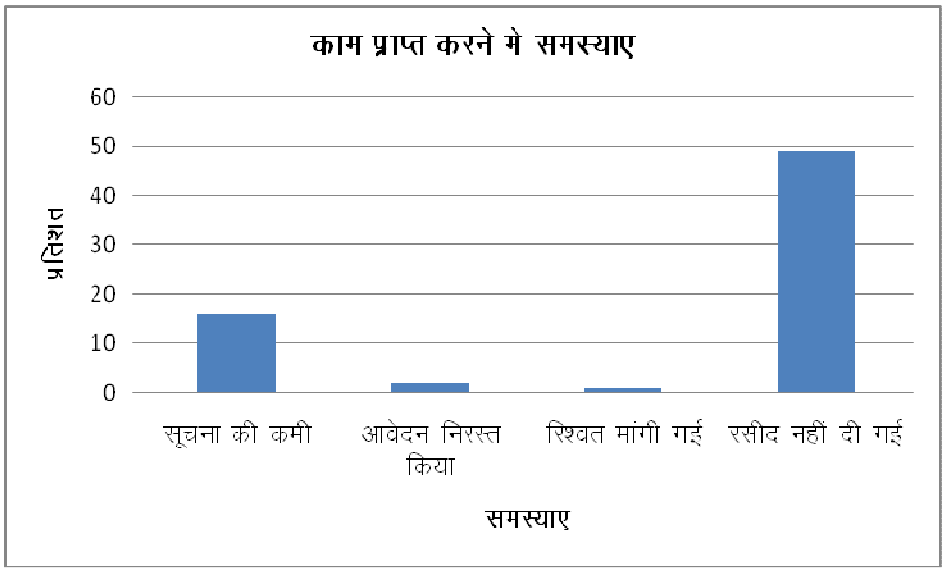

इस चार्ट से स्पष्ट होता है कि 16 प्रतिशत श्रमिको को सूचना की कमी के चलते NREGS के तहत काम प्राप्त करने में समस्याओ का सामना करना पडा। इसी क्रम मे 49 प्रतिशत श्रमिको को काम के लिए आवेदन करने पर उसकी कोई रसीद नही दी गई। जबकि इसी मुद्दे पर समूह चर्चा के दौरान स्पष्ट हुआ कि अधिकतर श्रमिक काम प्राप्त करने के लिए आवेदन करते ही नही हैं। उनके आवेदन स्थानीय मेट या सहायक सचिव के द्वारा किए जाते है, जिसकी कोई रसीद श्रमिको को उपलब्ध नही होती हैं। यदि कभी कोई श्रमिक पंचायत में जाकर काम हेतु आवेदन करता है तो भी उसको पंचायत कार्यालय द्वारा रसीद नही दी जाती है। श्रमिको का कहना था कि रसीद मांगने पर अक्सर कहा जाता है कि *"रसीद लेकर क्या करोगे, जब काम आए तो आ जाना काम पर लगा देगे"*।

चार्ट 7 : कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाए

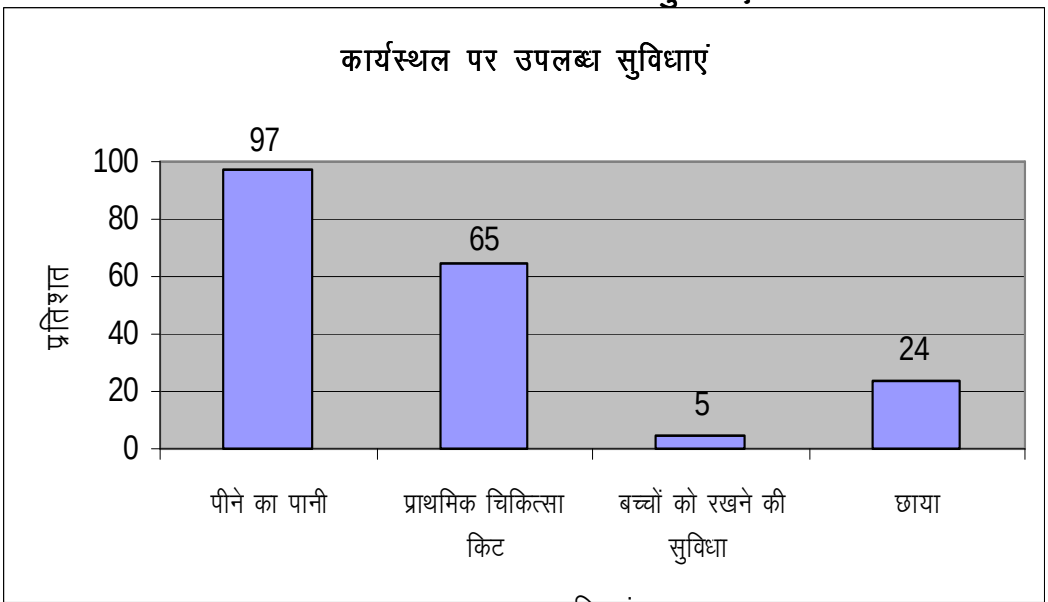

कार्यस्थल पर सुविधाओं की उपलब्धता में देखा गया कि साईट्स पर प्राथमिक चिकित्सा किट व छाया की व्यवस्था करने को लेकर इच्छाशाक्ति का अभाव हर कहीं देखने को मिला है। प्राथमिक चिकित्सा किट का मेट के घर रखा होना आम बात हैं जबकि छोटे बच्चों को रखने के इन्तजाम तो कहीं नहीं मिले। केवल पीने के पानी की व्यवस्था जरूर अधिकतर साइटो पर मौजूद थी। 97 प्रतिशत उत्तरदाताओ का कहना था कि उनके कार्यस्थल पर पीने के पानी की व्यवस्था थी जबकि बच्चो को रखने की सुविधा मात्र 5 प्रतिशत श्रमिको की साइटो पर ही उपलब्ध थी।

चार्ट 8 : मजदूरी भुगतान प्राप्त करने में समस्याए

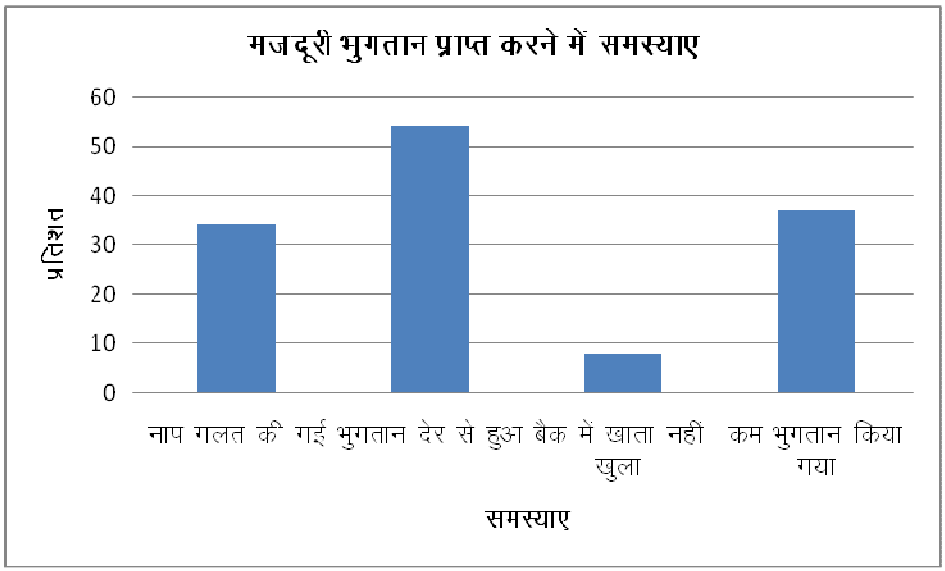

अध्ययन में योजाना के तहत भुगतान को लेकर देरी की बात करीब 54 प्रतिशत परिवरों ने कही। समूह चर्चाओ के दौरान निकलकर आया कि आम तौर पर नियमानुसार 15 दिन की अवधि में भुगतान की शर्त का पालन कहीं पर भी नहीं होता हैं। इसमें कम से कम डेढ माह व अधिकतम 3 माह व इससे भी अधिक की देरी आम बात है। भुगतान प्रक्रिया में डाकघर व सहकारी बैंक की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता की कमी की वजह से नरेगाकर्मियों को होने वाली दिक्कतों की कोई सीमा नहीं है। भुगतान स्थलों पर मदद के नाम

पर बिचौलियों की नई जमात एक और नई चुनौती पेश करती है। जंहा 37 प्रतिशत परिवारों ने काम के बाद मिले भुगतान पर असंतोष जताया कि वह उनकी वास्तविक मजदूरी से कम था, वही 20 प्रतिशत श्रमिको का कहना था कि उनके साथ मजदूरी के भुगतान के दौरान गडबडी की गई। इसी प्रकार 22 प्रतिशत श्रमिको को उनके कार्यस्थल पर काम की नपती का इन्द्राज मस्टररोल दिखाकर नही किया गया। समूह चर्चा व साइट अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मस्टररोल छिपाने जैसे गतिविधियां भी आम बात है।

8. प्रभाव

योजना के प्रभावों पर ग्रामीण क्षेत्रों में धरातल से जुडे सामाजिक संगठनों से लेकर बडे बडे व्यापारिक प्रतिष्ठानों की पैनी नजर है। योजना के क्रियान्वयन के पांच साल बाद इसके सामुदायिक प्रभावों के आकलन हेतु अलग अलग दृष्टिकोणों से अध्ययनों के दौर जारी हैं। योजना के प्रभावों के प्रति जिज्ञासा सरकार के साथ साथ सामाजिक आर्थिक विकास पर कार्य कर रहे समस्त स्वैच्छिक व स्वयंसेवी क्षेत्र की हैं। क्या देश को बेरोजगारी की समस्या के लिए कोई स्थाई समाधान मिल गया है? क्या ग्रामीण आजीविका से जुडी सभी जरुरतों का हल अब गांव की परिधि में ही मिलने लगा है? क्या यह योजना महिलाओं की आर्थिक आजादी की ओर एक और कदम है? उपरोक्त सवालों के बीच नरेगा जैसी राष्ट्रव्यापी योजना का उपयोग पलायन की वास्तविकता पर परदा डालने के लिए भी सःआशय किया जा रहा है। अध्ययन के इस भाग में हमने योजना के प्रभावो को जानने का प्रयास किया हैं।

8.1 प्रवास पर प्रभाव

नरेगा के लागू होने के बाद इस योजना का इन परिवारों से जाने वाले प्रवासियों के आने जाने के क्रम पर कोई उल्लेखनीय फर्क नहीं पडा है। इस बात की पुष्टि योजना में काम करने वाले प्रवासी श्रमिको के तथ्यो के विश्लेषण से भी होती हैं। तथ्यो से स्पष्ट होता है कि इन परिवारो से प्रवास करने वाले श्रमिको मे से मात्र 20 प्रतिशत श्रमिको ने ही वित्त वर्ष 2009–2010 के दौरान NREGS के अन्तर्गत काम किया हैं। इस योजना में काम करने वाले श्रमिको ने साल भर में औसतन 27 दिन काम किया हैं। इस काम के बदले इन प्रवासी श्रमिको को केवल 1955 रूपये ही वार्षिक आय ही इस योजना से प्राप्त हुई हैं।

मात्र 11.6 प्रतिशत उत्तरदाताओ का मानना था कि NREGS आरम्भ होने के बाद से लेकर अब इनके परिवारों में से किसी एक सदस्य ने प्रवास पर जाना बन्द किया है। लेकिन समूह चर्चा के दौरान स्पष्ट हुआ कि यह आम तौर पर प्रवासियों के व्यवहार का हिस्सा है। जिन लोगों ने प्रवास पर जाना बंद किया है

उनमें से नरेगा में काम कर रहे व्यक्ति नाम मात्र के है। इनमे से अधिकतर लोगों ने स्थानीय मजदूरी या व्यवसाय आरम्भ कर दिया है या उनकी पारिवारिक स्थिति ने उन्हें घर पर ही रहने को विवश कर दिया हैं। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि इन परिवारो से इस सत्र में नरेगा में काम करने वाले कामगारों में 60 प्रतिशत महिलाएं रही हैं। यदि सरकारी आकडो पर नजर डाली जाए तो वित्त वर्ष 2009–2010 के दौरान नरेगा में काम करने वाले कुल श्रमिको में 70 प्रतिशत महिलाएं थी। हालांकि साईट अवलोकन के दौरान कुल श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत इससे भी अधिक (लगभग 90 प्रतिशत) देखने को मिला है। नरेगा साईट्स पर काम करने वाले पुरुषों में प्रौढ व वृद्व अधिक देखने में आए। यहां पर यह कहना उपयुक्त है कि प्रवासी श्रमिक जो कि आम तौर पर 15 से 40 आयु वर्ग के है उस आयु वर्ग के लोग नरेगा की साईट्स पर काम करते हुए न्यूनतम दिखाई देते है। इस आयु वर्ग के जो श्रमिक काम करते हुए पाए गए उनमें से अधिकांश या तो मेट के रुप में या योजाना के किसी दक्ष कार्य में संलग्न है।

चार्ट 9 : काम की मांग

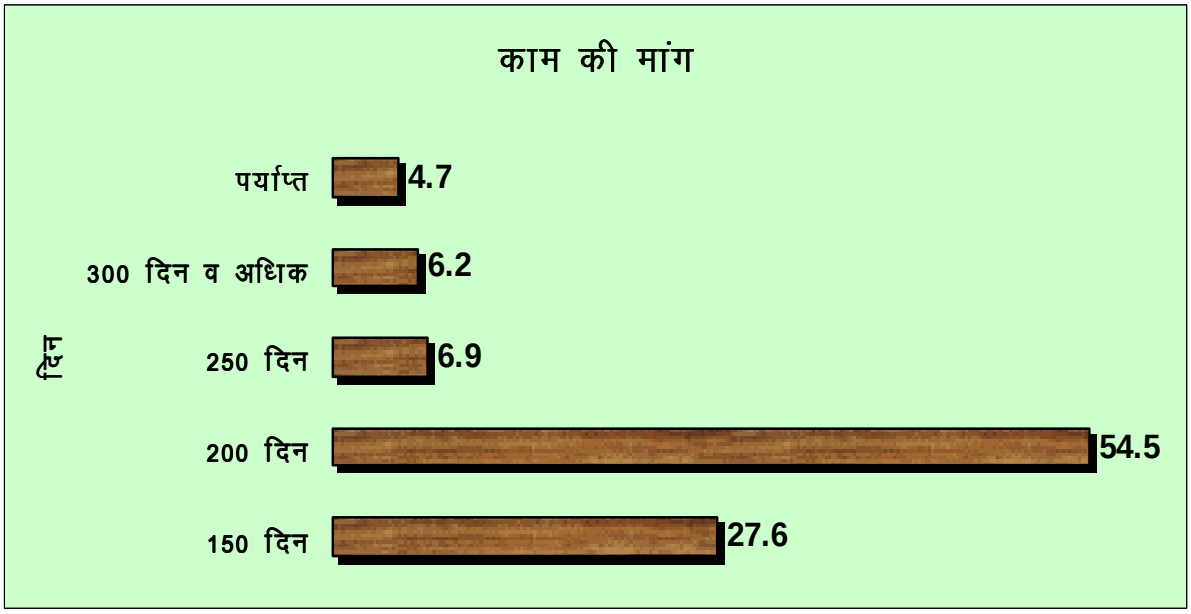

अध्ययन के दौरान लगभग 96 प्रतिशत श्रमिको का कहना था कि इस योजनाा के तहत वर्तमान में उपलब्ध रोजगार (100 दिन) पर्याप्त नही हैं। 67 प्रतिशत से अधिक श्रमिको के अनुसार योजना के अन्तर्गत मिलने वाले काम के दिनो की संख्या को कम से कम 200 या इससे अधिक दिनो तक किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि काम की वास्तविक उपलब्धता भी मांग के मुकाबले 25 प्रतिशत ही है।

8.2 सामाजिक प्रभाव

समूह चर्चाओ और साइट अवलोकन के दौरान देखने मे आया कि नरेगा में साथ काम करने व योजना की *"समान काम – समान मजदूरी"* जैसी शर्तो के चलते इस योजना मे काम करने वाले श्रमिको में समानता का स्तर बढा हुआ दिखाई देता है। श्रमिको का मानना था कि इस योजना में काम करने से से समुदाय में काम से जुडी अर्न्तजातीय पारस्परिकता में वृद्धि हुई हैं। NREGS की साईट्स पर गमेती (जनजाति) व पालीवाल (ब्राम्हण) महिलाओं व पुरुषों का समूह बनाकर साथ काम करने दृश्य इसकी पुष्टि करते है। हालांकि पानी पिलाने जैसे काम में अभी भी सवर्ण व उच्च वर्ग के महिला पुरुष ही दिखाई देते है।

नरेगा ने महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर नए काम के अवसरो को बढाया है। महिलाओ को प्राथमिकता के चलते साईट पर महिला मेटों की संख्या बढी हैं लेकिन शैक्षणिक बाध्यताओं के चलते जनजाति महिला मेट अभी भी सीमित है। अवलोकन के दौरान ब्रम्हण, राजपूत व मेघवाल जातियों के प्रवासियों की पत्नियां भी मेट के रुप में सामने आई है।

8.3 बाजार पर प्रभाव

अध्ययन के दौरान 96 प्रतिशत उत्तरदाताओ का मानना था कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना लागू होने के बाद सीानीय मजदूरी दर में वृद्धि हुई हैं। श्रमिको ने बताया कि नरेगा के लागू होने के बाद से स्थानीय बाजार में मजदूरी की दर में औसतन 40 रुपये की वृद्वि हुई है। समूह चर्चा के दौरान भी श्रमिको का मानना था कि इस योजना में काम की स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के चलते बाजार में वैधानिक न्यूनतम मजदूरी व वास्तविक मजदूरी दर के अन्तर में कमी आई हैं। व्यक्तिगत चर्चा के दौरान निर्माण ठेकेदारों का कहना था कि अब बाजार में सस्ते मजदूर मिलना मुश्किल हो गया है। कम मजदूरी की पेसकस करने पर श्रमिक कहते है कि *"100 रुपये तो रोजगार गारन्टी मे ही मिलते हैं"*। इस योजना के चलते मजदूरों की खासकर महिलाओ की मोल–भाव करने की क्षमताओं में भी बढोतरी हुई है। इस योजना में काम करने के बदले होने वाली आय के कारण महिलाओ के पास अल्पकालीन खर्च हेतु आय का वैकल्पिक स्त्रोत मौजूद रहता हैं। समूह चर्चाओ में भी श्रमिको का कहना था कि महिलाओं के पास नकद आने से घर के पुरूष सदस्य पर उनकी आर्थिक निर्भरता कम हुई है।

9. योजना के बारे में आम राय

अध्ययन के दौरान परिवारों से इस योजना से अधिकतम लाभ हेतु संभावित संशोधनों और बदलावों के बारे में जाना गया तो अधिकतर उत्तरदाताओ ने मिलने वाली मजदूरी, काम की उपलब्धता, काम की प्रकृति के बारे में राय दी। 95 प्रतिशत उतरदाताओ के एक बडे वर्ग ने कहा कि नरेगा में काम के वार्षिक दिनों को बढाना चाहिए। अध्ययन के दौरन औसतन 200 कार्य दिवस प्रति वर्ष करने की बात सामने आई। 50 प्रतिशत श्रमिको के अनुसार प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी (100 रुपये) का भुगतान होना निश्चित करना चाहिए। 22 प्रतिशत उत्तरदाताओ के अनुसार रोजगार गारन्टी के अन्तर्गत पूरे वर्ष भर काम चलना चाहिए। समूह चर्चाओ के दौरान निकलकर आया कि योजना के अन्तर्गत निर्माण कोर्यो पर ही अधिक फोकस होता हैं जबकि उतना ही महत्व खेती व जल संरक्षण सुधार के काम को प्रदान करना चाहिए। 44 प्रतिशत उत्तरदाताओ का कहना था कि योजना के प्रावधनो की जानकारी व जागरुकता के लिए सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त औजारों की व्यवस्था पंचायत से, दुर्घटना होने पर तुरंत मुआवजा तथा काम के घंटों का कडाई से पालन होना जैसी बाते ाी निकलकर सामने आई। समूह चर्चाओ के दौरान कार्यस्थल पर छाया पानी और दवाईयों की व्यवस्था को लेकर लगभग सभी श्रमिको की राय थी कि इन व्यवस्थाओं को बहुत प्रभावी ढंग से लागु किए जाने की जरुरत है।

सारणी 5 : NREGS के बारे में आम राय

राय	उत्तरदाता*	प्रतिशत
न्यनतम मजदूरी का निश्चित भुगतान	112	42.9
काम हर समय उपलब्ध हो	58	22.2
निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्यो पर भी फोकस	33	12.6
मजदूरी भुगतान समय पर	92	35.2
कार्य की रोजाना नपती	31	11.9
जारूकता के लिए विशेष प्रयास	114	43.7
मजदूरी की दरो में समय समय पर बढोतरी	43	16.5
टास्क कम हो	35	13.4

Note :– * Multipale Response

10. संभावित हस्तक्षेप

अध्ययन के निकले निष्कर्षों के अनुसार इस बारे में कुछ निश्चित हस्तक्षेप किए जा सकते है–

- **वातावरण निर्माण जहां श्रमिक इसे अपना हक समझे**

  अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सीानीय स्तर पर श्रमिक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून व इसकी क्रियान्विति के लिए संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना को अपना हक न मानकर इसे सरकार द्वारा संचालित अन्य कल्याणकारी योजनाओ की तरह ही मानते हैं। अतः श्रमिक इसे अपना हक मानकर काम मांगे और हर समय काम के लिए आवेदन कर सके ऐसा वातावरण निर्माण किया जाना चाहिए।

- **योजना के बारे में प्रवासियों व उनके परिवारों के साथ जागरुकता कार्यक्रम**

  इसके तहत नरेगा की क्रियान्वयन ऐजेन्सीज के साथ मिलकर गांव स्तर पर विशेष जागरुकता कार्यशालाओं का आयोजन किया जाये ताकि योजना के समस्त प्रावधानों के प्रति ग्रामीण परिवारों की जागरूकता में वृद्वि हो।

- **महिलाओं के साथ विशेष कार्यशालाएं और काम के लिए आवेदन करने के अभ्यास सत्र**

  अध्ययन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि नरेगा की साईट्स पर अधिकांश कामगार महिलाए ही होती है। ऐसे में नरेगा के प्रति जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन महिलाओं को केन्द्र बिन्दु मानकर करना चाहिए। इसमें भी प्रवास व श्रम आधारित परिवारों की महिलाओं पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही नरेगा में काम के आवेदन को लेकर जो रुझान मिले है उसको देखते हुए गांव स्तर पर जागरुकता कार्यक्रमों के बाद आवेदन के लिए विशेष अभ्यास सत्र आयोजित करने चाहिए, जिससे परिवरों में इस प्रक्रिया को लेकर और अधिक स्पष्टता विकसित हो पाए। एक हद तक काम के लिए सामूहिक आवेदन का माध्यम भी अपनाया जा सकता है।

- **योजना के क्रियान्वयन में स्थानीय युवा भागीदारी**

  नरेगा में युवाओं की भागीदारी कम देखने को मिलती है। इस वजह से योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और निगरानी प्रभावित होती है। स्थानीय युवा नरेगा के कार्यो की निगरानी का बीडा उठा ले तो इस योजना मे होने वाली अनियमितताओं को रोका जा सकता हैं। युवा इस योजना में जागरुकता कार्यक्रमों के संचालन, काम के लिए आवेदन प्रकिया, साईट निरीक्षण और भुगतान इत्यादि की प्रक्रियाओं से अपने आप को जोड सकते है।

- **महिलाओं को आय के बेहतर प्रबंधन मे सहयोग।**

निष्कर्ष

दक्षिणी राजस्थान से प्रवास की सघनता को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का प्रवासी श्रमिको के परिवारो पर प्रभाव को जानने के लिए यह अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के द्वारा प्रवासी श्रमिक के परिवारो को इस योजना से मिलने वाले लाभ, प्रवास, श्रम बाजार व श्रमिको के सशक्तीकरण पर प्रभाव व योजना के प्रावधानो की जानकारी के स्तर का आंकलन किया गया। अध्ययन में निम्न बातें स्पष्ट रूप से निकल कर सामने आईं।

गोगुन्दा वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान नरेगा के तहत साल भर में जंहा प्रत्येक परिवार को औसतन 57 दिन का काम मिला है वहीं प्रवासी श्रमिको के परिवारो ने योजना के अन्तर्गत औसतन 56 दिन प्रति परिवार ने काम किया जिसके परिणामस्वरुप उन्हें 73 रुपये प्रतिदिन औसत मजदूरी मिली है। इस प्रकार योजना के अनतर्गत प्रवासी और अप्रवासी दोनों ही प्रकार के श्रमिकों के परिवार को लगभग बराबर काम उपलबध हुआ हैं। जैसे उल्लेखित है कि गोगुन्दा से अधिकतर पुरुष ही रोजी रोटी के लिए प्रवास करते है और इन परिवारो की महिलाए गांवो में ही रहती हैं। इस योजना में महिलाओं की अधिक भागीदारी रहती हैं तो प्रवासी परिवारो की महिलाए भी इस योजना से जुडकर कार्य प्राप्त कर लेती हैं।

प्रवास करने वाले श्रमिको में से मात्र 20 प्रतिशत श्रमिको को ही NREGS के अन्तर्गत काम मिला हैं। इसमें काम करने वाले प्रवासी श्रमिको ने वर्ष में औसतन 27 दिन काम किया जिसके फलस्वरूप उन्हे केवल 1955 रूपये वार्षिक आय ही इस योजना से प्राप्त हुई हैं। योजना के तहत काम की वास्तविक उपलब्धता भी मांग के मुकाबले 25 प्रतिशत ही है। साल भर के दौरान नरेगा में काम करने वाले श्रमिको में 70 प्रतिशत महिलाए थी। अतः स्पष्ट होता हैं कि इस योजना का प्रवासियो के आने जाने पर कोई उल्लेखनीय फर्क नहीं पडा हैं।

रोजगार गारन्टी योजाना के बारे मे जानकारी का स्तर बहुत न्यून है। जंहा आधे परिवारो को जॉब कार्ड बनवाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं हैं वहीं 93 फीसदी उत्तरदाताओं को बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान की कोई जानकारी नहीं हैं। योजाना के तहत काम के आवेदन की प्रक्रिया के बारे में महिला व पुरुषों की जानकारी न्यून व समान है। प्रावधानों के प्रति जानकारी कम होने की वजह से श्रमिको को जॉब कार्ड बनवाने के दौरान समस्या, जॉब कार्ड में अधूरी जानकारी, जॉब कार्ड उनके पास नहीं रहने जैसी समस्याओ का सामना करना पडता हैं। प्रावधानो की न्यून जानकारी के कारण अभी भी यह योजना श्रमिको

का हक नही बन पाई हैं जो कि इसका मूल उद्देश्य था। वर्तमान में इस योजना में श्रमिको को कार्य अधिकार पूर्वक न मिलकर ग्राम पंचायतो की ओर से अपनी सुविधानुसार प्रदान किया जाता हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना खासकर महिला श्रमिको के लिए स्थानीय स्तर पर काम के अवसर उपलब्ध करवाती हैं जिससे यह उनके अल्पकालीन खर्च हेतु वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में उभर कर सामने आई हैं। इसके चलते पुरूषो पर उनकी आर्थिक निर्भरता एक स्तर तक कम हुई हैं। नरेगा में साथ काम करने तथा समान काम–समान मजदूरी जैसी शर्तो के चलते काम से जुडी अन्तर्जातीय पारस्परिकता में वृद्धि दिखाई देती हैं। अध्ययन के दौरान यह बात सिद्ध हुई कि इस योजना के लागू होने के बाद से इसके चलते वैधानिक न्यूनतम मजदूरी व वास्तविक मजदूरी दर के अन्तर में कमी आई हैं तथा स्थानीय मजदूरी दर में वृद्धि हुई हैं।